



निविदा फार्म-विपणन अनुभाग (तकनीकी बोली)

फार्म संख्या

निविदा प्रपत्र मूल्य:—₹1000.00(एक हजार) (समस्त कर सहित)



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) किराया वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांकों की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :-
 2. निविदादाता का नाम :-
 3. आधार कार्ड संख्या :- (छायाप्रति संलग्न करें)
 4. जी०एस०टी० नम्बर :- (छायाप्रति संलग्न करें)
 5. पिता/पति का नाम :-
 6. स्थायी पता (अनिवार्य):-
 7. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):-
 8. दूरभाष संख्या (अनिवार्य) :-
 9. जमा अर्नेस्ट मनी विवरण-बैंक का नाम
ट्राफ्ट संख्या धनराशि दिनांक
नकद जमा धनराशि-..... रसीद संख्या दिनांक
 10. निविदादाता निविदा फार्म के साथ आई०डी०प्रूफ के रूप में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड एक की छायाप्रति संलग्न करें।
 11. अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)-.....
 12. वाहन के प्रपत्रों की वैधता विवरण :-
(i) आर०सी० वैधता तिथि -
(ii) परमिट वैधता तिथि -
(iii) फिटनेस वैधता तिथि -
(iv) रोड टैक्स वैधता तिथि -
(v) बीमा वैधता तिथि -
(vi) प्रदूषण वैधता तिथि -
(क) वाहन का प्रकार :-मॉडल वर्ष-.....
(ख) वाहन पंजीकरण संख्या :-पंजीकरण तिथि :-
(ग) वाहन स्वामी का नाम :-
- संलग्नक**—आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तें।

फोटो वैकल्पिक

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

पूरा नाम:-

पता :-

मोबाईल नं-.....



फार्म संख्या—

निविदा फार्म—विपणन अनुभाग (वित्तिय बोली)



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) किराया वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ—साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :—
2. निविदादाता का नाम :—
3. पिता/पति का नाम :—
4. स्थायी पता (अनिवार्य):—
.....
5. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):—
.....
6. वाहन के किराये की दरें दूध, दही छाछ एवं मटठा प्रति लीटर / किग्रा० कमीशन (अंको व शब्दों में):—
अ— (दूध की दरें) अंकों में:— ₹शब्दों में :— ₹
ब— (दुग्ध उत्पाद की दरें) अंकों में:— ₹शब्दों में:— ₹

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

पूरा नाम:—

पता :—

मोबाईल नं—.....

आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तें

1. यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईट www.ucdfaanchal.org से डाउनलोड निविदा फार्म की जमा धनराशि ₹1000.00 की अतिरिक्त रसीद की मूल या छाया प्रति/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में “किराया वाहन हेतु निविदा”, “मार्ग का नाम” एवं “निविदादाता का नाम” व “पता” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
3. निविदा, प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के नाम से निविदा पेटी के माध्यम से दिनांक **09.09.2026** को अपराह्न **01.00 बजे** तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनांक **09.09.2026** को अपराह्न **01.30 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
4. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
5. निविदा फार्म की वित्तीय बिड में ओवर राईटिंग अस्वीकार्य नहीं होगी। यदि विशेष परिस्थितियों में ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
6. प्रत्येक निविदा पत्र का लिफाफा बन्द होना चाहिये। छोटे वाहन 2.5 टन तक ₹5000.00 (पांच हजार) रूपया एवं 2.5 टन से उपर ₹10,000 (दस हजार) रूपया बतौर अर्नेस्ट मनी नकद संघ कोषागार में जमा कर मूल रसीद/छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट जो ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) में देय हो, से भी अर्नेस्ट मनी जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। चैक, एफ. डी.आर. एवं पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा के साथ मान्य नहीं होगी।
7. निविदादाता द्वारा एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
8. निविदा फार्म में स्व-हस्ताक्षरित रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है।
9. निविदा फार्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रति, अदेयता प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता अथवा उनके पारिवारिक सदस्य के बकाया होने की स्थिति में निविदा हेतु अर्नह होगा। निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य के बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता अथवा उनके ऐसे पारिवारिक सदस्य की निविदा अर्नह होगी जो कि आर्थिक रूप से बकायेदार पर निर्भर है, या उसके व्यापार में भागीदार है पति, पत्नी(यदि तलाक नही हुआ है), आश्रित बच्चे पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री, माता पिता (जो कि बकायेदार सदस्य पर निर्भर है या बकायेदार उन पर निर्भर हो) या बकायेदार फर्म का मुख्य नियन्त्रक हो।
11. संस्था के विपणन अनुभाग के पूर्व/वर्तमान परिवहनकताओं को निविदा प्रपत्र के साथ प्रभारी विपणन एवं प्रभारी वित्त से संतोषजनक कार्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता द्वारा बैंक खाते नम्बर की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी।
13. निविदादाता को कैश कलेक्शन प्रति हजार पर रु 3.00(तीन) मासिक रूप से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की धनराशि पूर्ण जमा किये जाने पर ही देय होगी, माह अन्त में बकाया होने पर कैश कलेक्शन देय नहीं होगा।
14. निविदादाता को वाहन के संचालन हेतु डीजल एवं लोडर चार्ज स्वयं वहन करना होगा। जिस मार्ग पर आंचल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जा रहा है, उन मार्गों पर कार्यरत

- निविदादाताओं को दैनिक आपूर्ति किये गये आंचल दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सम्पूर्ण कीमत नियमित रूप से संघ कोषागार में तदतिथि को ही जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, इस हेतु निविदादाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा, तथा किसी भी परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री की धनराशि जमा न करने पर मार्ग प्रभारी/प्रभारी विपणन की संस्तुति के आधार पर प्रधान प्रबन्धक को वैधानिक कार्यवाही (आर0सी0 के माध्यम से वसूली कराने एवं वाहन हटाने) का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
15. निविदादाता के नाम भेजे जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमत की वसूली का कार्य निविदादाता द्वारा किया जायेगा। ड्राईवर एवं लोडर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। बिक्री किए गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की धनराशि की शत-प्रतिशत वसूली का दायित्व निविदादाता (परिवहनकर्ता) का होगा तथा इस हेतु वह वैधानिक रूप से भी उत्तरदायी होगा।
 16. वाहन का **मॉडल वर्ष जनवरी, 2013** से कम नहीं होना चाहिये। **निविदा फार्म के साथ वाहन के समस्त प्रपत्र स्व-प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा जो निविदा खुलने की तिथि को अनिवार्य रूप से वैध होनी चाहिए।** निविदा फार्म के साथ वाहन के प्रपत्रों के स्थान पर किसी भी प्रकार के अन्य प्रमाणक जैसे— अप्लाइड फोर/पावर आफ अटार्नी/शपथ पत्र/विक्रय पत्र एवं वाहन से सम्बंधित कम्पनी का कोटेशन मान्य नहीं होंगे।
 17. निविदादाता को पैकड आंचल दूध एवं दुग्ध उत्पाद कमीशन एजेंट दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
 18. **विपणन मार्गों पर लगने वाले टौल टैक्स** का भुगतान निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। भविष्य में यदि नया टौल टैक्स लगता है तो, टौल टैक्स के भुगतान पर विचार किया जायेगा।
 19. निविदादाता द्वारा संस्था के वाहन में आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य कोई सामान संस्था की बिना अनुमति के ढुलान नहीं किया जायेगा।
 20. निविदादाता को संस्था से अनुबंध के समय 02 गारंटर भी उपलब्ध कराने होंगे, जोकि परिवहनकर्ता के उत्तरदायित्वों के पूर्ण रूप से जमानती होंगे।
 21. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन होगा।
 22. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के वारदाना (केन अथवा क्रेट) को एक/दोनों पालियों में पूर्ण रूप से वापस करने का दायित्व निविदादाता का होगा। क्रेटों की कमी की दशा में कटौती मासिक रूप से सम्बंधित के भुगतान बिलों से कर ली जायेगी। तदोपरान्त भी क्रेट अथवा केन बकाया होने पर जमानत से वसूली की जायेगी।
 23. यह कि दूध एवं दूध पदार्थों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को वाहन को संस्था द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दुग्धशाला में लगानी होगी तथा समय सारिणी के अनुसार ही वाहन लोड करवाकर नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करनी होगी।
 24. प्रत्येक वाहन के लिये चालक/परिचालक की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी, तथा इनका पूर्ण विवरण संस्था में देना होगा।
 25. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को जमानत धनराशि संघ कोषागार में पूर्ण रूप में नकद जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ मु0100 (एक सौ)रु0 मूल्य के नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
 26. अनुबंध की अवधि 01 (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरांत संस्था अनुबन्ध की अवधि तीन माह हेतु दो बार बढ़ायी जा सकती है, निविदादाता का कार्य सन्तोषजनक होने एवं बकायेदार न होने तथा दुग्ध बिक्री में विगत वर्ष के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक बिक्री होने की दशा में अनुबन्ध एक वर्ष हेतु वर्तमान स्वीकृत निविदा दरो पर बढ़ाया जा सकता है।
 27. निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ (चालक एवं परिचालक) का ई.पी.एफ. नियमानुसार ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराना होगा। जिसका उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।
 28. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक एवं परिचालक द्वारा मादक पदार्थों के सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 05 वर्ष हेतु संस्था से पृथक कर दिया जायेगा।

29. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
 30. संस्था को बिना कारण बताये, 15 दिन के नोटिस उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, चोरी करने एवं दूध में मिलावट करने अथवा निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर संस्था को तत्काल निविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।
 31. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत दो दिन के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत के बराबर **जमानत धनराशि** संघ कोषागार में नकद जमा करानी होगी।
 32. निविदादाता से लिकेज दुग्ध की वापसी विषय पर परिस्थिति में ही बंद पैकेटों में (अनसोल्ड मिल्क) दूध वापसी प्रधान प्रबंधक की स्वीकृति उपरान्त स्वीकार की जा सकेगी।
 33. यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
 34. यदि निविदा कार्यकाल के दौरान शासन द्वारा डीजल की दरों में कमी/वैशी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में 10 किमी प्रति लीटर की दर से वाहनों की दरों का आंकलन कर कमी/वैशी की जायेगी।
 35. निविदादाता को संस्था के वाहनों की साफ-सफाई रखनी होगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदा दाता का होगा, वाहन एवं टैन्क गन्दे पाये जाने पर सम्बन्धित की निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
 36. यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं0 1542/VII-3-19/143-उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
 37. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रधान प्रबंधक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित होगा।
 38. किसी भी प्रकार के विवाद में निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
- नोट-** उपरोक्तानुसार निविदा के आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बन्धी मुख्य शर्तों को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक दिशा निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि-भाँति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार संस्था वाहन के संचालन हेतु ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के साथ अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ। उपयुक्त पृष्ठियाँ मैंने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

नाम:-

पिता का नाम.....

विवरण चार्ट
(विपणन अनुभाग में वाहनों की आवश्यकता का विवरण)

क्र.सं.	मार्ग का नाम	पाली	वाहन का प्रकार	वर्तमान दुग्ध डुलान (लीटर में)	अनुमानित दूरी (किमी०में)	अधिकतम कमीशन दर (₹प्रति लीटर/कि०ग्र०में)		मॉह जुलाई 2026 में किये गये भुगतान की धनराशि
						दूध	समस्त दुग्ध उत्पाद की दरे	
01	सुल्तानपुर पट्टी	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / पिकअप समकक्ष	600	40	₹2.10	₹2.10	44500.00
02	बाजपुर लोकल	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / पिकअप समकक्ष	500	35	₹2.10	₹2.10	24800.00
03	गदरपुर	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / पिकअप समकक्ष	500	65	₹2.10	₹2.10	36000.00
04	गुलरभोज	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / पिकअप समकक्ष	500	60	₹2.10	₹2.10	39600.00
05	रुद्रपुर -4	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / पिकअप समकक्ष	900	30	₹1.45	₹1.45	41900.00
06	रुद्रपुर-5	प्रातः	ई रिक्सा लोडर / समकक्ष	300	20	₹2.00	₹2.00	27500.00
07	रुद्रपुर -6	प्रातः	ई रिक्सा लोडर / समकक्ष	300	25	₹2.00	₹2.00	8500.00
08	रुद्रपुर -7	प्रातः	ई रिक्सा लोडर / समकक्ष	400	30	₹2.00	₹2.00	24600.00
09	ए०टी०एम०-02 रुद्रपुर	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / समकक्ष	200	40	₹4.50	-	47600.00
10	खटीमा प्रथम	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / पिकअप समकक्ष	700	30	₹1.45	₹1.45	35500.00

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा

क्र० सं०	मार्ग का नाम	विपणन मार्गों का अनुमानित रोडमैप
01	सुल्तानपुर पट्टी	बाजपुर दोराहा से पट्टी, मस्वासी, स्वार, दोराहा से केलाखेडा से वापस बाजपुर दोराहा।
02	बाजपुर लोकल	बाजपुर दोराहा से, बाजपुर लोकल, मुडियां, चकरपुर, बेरिया, बरहेनी से बाजपुर दोराहा।
03	गदरपुर	रुद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र से एन०डी०आर०एफ०, गुलरभोज रोड, मेन मार्केट, सकैनिया, सरदारनगर, चक्की मोड वापस रुद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र।
04	गुलरभोज	रुद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र से दिनेशपुर, कालीनगर, जयनगर, जाफरपुर, गुलरभोज वापस रुद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र।
05	रुद्रपुर-04	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से रोडवेज, आवास विकास, अटरिया रोड, पी०ए०सी०, ओमैक्स, मण्डी रोड, मण्डी, विकास भवन, मदकोटा वापस रुद्रपुर प्लान्ट।
06	रुद्रपुर -5	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से रुद्रा होटल, मलिक कालौनी, सिंह कालौनी, शान्तिबिहार, भूरारानी, वसुन्धरा वापस अवशीतन केन्द्र।
07	रुद्रपुर-6	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से बालाजी द्वार से गुरु समोसा से बंगाली कालौनी, इन्द्रा कालौनी, सुभाष कालौनी से वापस अवशीतन केन्द्र।
08	रुद्रपुर -7	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से माडल कालौनी से इन्द्रा चौक से भदईपुरा से वापस सोनिया होटल से लालपुर से वापस रामनगर से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
09	ए०टी०एम०-02 रुद्रपुर	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से ग्रीन पार्क, नैना कालौनी, एलाइन्स, डिबडिबा, सोढी कालौनी, ट्राजिट कैम्प, वसुन्धरा पार्क से दुग्ध अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
10	खटीमा प्रथम	खटीमा दुग्धशाला से कंजाबाग आर्शिवाद पैलेस, भूड महोलिया, कंजाबाग चौराहा से डिग्री कालेज ग्रीन पार्क से भूड टौल टैक्स, मेन मार्केट, लोहियाहैड रोड वापस खटीमा दुग्धशाला।

नोट— समान दरें आने पर नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।

